(14) ए/अपील/अशिथ्या/2018/0492

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा.

अपील प्रकरण क्र0/ /018

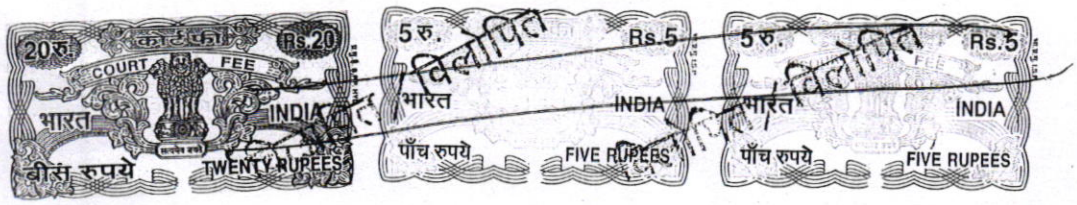

कोर्ट फी 20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

हीरालाल जेठई तनय स्व0 जगतराम जेठई निवासी ग्राम कुदरी, थाना व तहसील नौरोजाबाद जिला उमरिया, म0प्र0.

----अपीलांट

अधि0श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पेश 17-01-18

रीडर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

शासन म0प्र0

---- रेस्पा0

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त शहडोल दिनांक 04.12.017 जोराजस्व अपीलप्रकरण क्र0 98/अपील/17-18 मे पारित किया जाकर अपीलांट की अपील निरस्त की गयी ।

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है :-

(01) यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपी0 कीअपील को ग्राह्यता स्तर पर अग्राह्य किया है जो आदेश अनुचित अनियमित एवं अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(03) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटद्वारा प्रस्तुत अनुमति दिये जानेके आवेदन को इस आधार पर कलेक्टर जिला उमरिया के आदेश की पुष्टि की है कि अनुविभागीय अधिकारी पाली जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/492

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	आवेदक के अभिभाषक को अपील की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 98/17-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-12-2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया. कि ग्राम गोरईया की आराजी कमांक 348/1/2 रकबा 0.012 हैक्टर का आवेदक भूमिस्वामी है जिसके विक्रय की अनुमति कलेक्टर उमरिया से मांगी गई थी, किन्तु कलेक्टर उमरिया ने अपीलांट की आवश्यकता को समझे बिना एंव अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना विक्रय अनुमति आवेदन आदेश दिनांक 29-8-17 से निरस्त करने में भूल की है जब कलेक्टर उमरिया के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील की गई। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड देखे बिना ही प्रारंभिक स्टेज पर प्रकरण कमांक 98/17-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-12-2017 अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय एंव अपीलांट को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के क्रम में	

आवेदन दिनांक

अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 4–12–2017 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश के पद 3 में इस प्रकार उल्लेख किया है :–

" प्रश्नाधीन भूमि डब्लू0सी0एल0कालरी द्वारा अधिग्रहीत आराजी है। एस0ई0सी0एल0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि को विक्रय करने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में भूमि आवेदक की नहीं है अपितु एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है और वर्तमान भूमिस्वामी एस.ई.सी.एल. है जिसके कारण कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रकरण 19 अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 को अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य